



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072022-237314
CG-DL-E-15072022-237314

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]
No. 177]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2022/आषाढ़ 24, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2022/ASHADHA 24, 1944

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

फा. सं. 25-05/2020-एलआई (पार्ट).—राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र संख्या 85 (भाग-I खंड-I असाधारण) में 28 अप्रैल 2011 को प्रकाशित "डाकघर जीवन बीमा नियम, 2011" के "रक्षा सेवा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया" से सम्बंधित परिशिष्ट में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

रक्षा सेवा कार्मिकों (असम राइफल्स और अर्द्धसैनिक बल के कार्मिकों सहित) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

रक्षा सेवा का कोई भी सदस्य जो डाक जीवन बीमा पॉलिसी क्रय का इच्छुक है, उसके लिए क्रय प्रक्रिया निम्नलिखित को छोड़कर, अन्य प्रस्तावकों के समान "डाकघर जीवन बीमा नियम, 2011" और समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों में उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित होगी: -

1. ऐसे अधिकारी एवं जेसीओ/एनसीओ/ओआर अथवा समकक्ष रक्षा कार्मिक जो 'SHAPE-1' चिकित्सा श्रेणी में हैं, उन्हें डाक जीवन बीमा पॉलिसी लेने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय चिकित्सा परीक्षण से छूट दी जाएगी। वे रक्षा

कार्मिक जो कि 'SHAPE-1' श्रेणी में नहीं हैं, उन्हें अन्य सिविल प्रस्तावकों के समान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा।

2. रक्षा सिविल प्रस्तावकों की "डाकघर जीवन बीमा नियम, 2011" में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संबंधित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा जांच की जाएगी। चिकित्सा जांच के शेष सभी नियम और शर्तें "डाकघर जीवन बीमा नियम, 2011" के नियमों के अनुसार लागू होंगी।
3. **प्रीमियम भुगतान:-** प्रथम प्रीमियम का भुगतान अन्य प्रस्तावकों के समान "डाकघर जीवन बीमा नियम, 2011" में निर्धारित प्रावधान के अनुसार हमेशा नकद या चेक के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि, बाद के प्रीमियम की कटौती का तरीका प्रस्तावक द्वारा नकद (चेक/ऑनलाइन अथवा समय-समय पर विभाग द्वारा अधिकृत किसी अन्य भुगतान प्रणाली सहित) या वेतन से कटौती के रूप में चुना जा सकता है।
4. रक्षा कार्मिकों की नकद/वेतन वसूली पॉलिसी के लिए अनुवर्ती/भविष्य के प्रीमियम के संग्रहण और अद्यतनीकरण के लिए पीएलआई-सीपीसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया निम्नानुसार है: -
 - 4.1 नकद पॉलिसियों के मामले में: - ऐसी पॉलिसियाँ अन्य सिविल प्रस्तावकों की नकद पॉलिसी के समान ही नियंत्रित होगी।
 - 4.2 वेतन वसूली पॉलिसियों के मामले में:-
 - 4.2.1 उन सीपीसी में प्राप्त पीएलआई प्रस्ताव के मामले में, जो पहले से ही प्रस्तावक के संबंधित डीडीओ/पीएओ/सीडीए के साथ मैप किए गए हैं: -संबंधित सीपीसी वेतन से अनुवर्ती प्रीमियम की कटौती के लिए पॉलिसी स्वीकृति पत्र तथा प्रस्तावक के सहमति पत्र को प्रस्तावक के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ)/वेतन लेखा अधिकारी (पीएओ)/रक्षा लेखा नियंत्रक (सीडीए) को अग्रेषित करेगा।
 - 4.2.2 उन सीपीसी में प्राप्त पीएलआई प्रस्ताव के मामले में जो प्रस्तावक के संबंधित डीडीओ/पीएओ/सीडीए के साथ मैप नहीं किए गए हैं: -

सीपीसी, पॉलिसी क्रय प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात प्रस्ताव से सम्बंधित मूल केस फाइल को संबंधित सीपीसी जिसे प्रस्तावक के डीडीओ/पीएओ/सीडीए के साथ मैप किया गया है, को अग्रेषित करेगा तथा विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में बीमाकर्ता के सहमति पत्र और स्वीकृति पत्र की प्रति को अनुवर्ती प्रीमियम की कटौती करने हेतु एवं सीपीसी को प्रीमियम शेड्यूल भेजने के लिए प्रस्तावक के डीडीओ/पीएओ/सीडीए को प्रेषित करेगा।

5. वेतन वसूली पालिसी के मामले में मासिक अनुसूचियां(शेड्यूल) और प्रीमियम भुगतान: - संबंधित डीडीओ/पीएओ/सीडीए, मासिक आधार पर अनुवर्ती प्रीमियम भुगतान के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में, मैप किए गए सीपीसी को चेक से या किसी अन्य प्रणाली जिसे विभाग द्वारा समय-समय पर स्वीकार किया जाता है, के माध्यम से बीमाकर्ता(ओं) के वेतन से वसूल किए गए प्रीमियम के विवरण के साथ प्रेषित करेंगे।

सीपीसी द्वारा संबंधित डीडीओ/पीएओ/सीडीए से प्राप्त होने वाले प्रीमियम भुगतान शेड्यूल के समय पर प्राप्त होने की निगरानी रखी जाएगी तथा शेड्यूल में विसंगतियां, यदि कोई हो, तो संबंधित डीडीओ/पीएओ/सीडीए के परामर्श से उनका उचित समाधान किया जाएगा और उसके पश्चात प्रीमियम शेड्यूल तदनुसार अपलोड किया जाएगा।

अंजू निगम, मुख्य महाप्रबंधक (पीएलआई)
अतिरिक्त सचिव के समक्ष

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2022

F. No. 25-05/2020-LI(Pt).—The President is pleased to amend and revise the APPENDIX having “Procedure to be followed in connection with proposals submitted by Defence Service Personnel” of “Post

Office Life Insurance Rules-2011” published on 28th April 2011 in the Gazette of India No. 85 (Part-I Section-I Extraordinary) as under: -

**PROCEDURE TO BE FOLLOWED IN CONNECTION WITH PROPOSALS SUBMITTED BY
DEFENCE SERVICE PERSONNEL (INCLUDING PERSONNEL OF ASSAM RIFLES AND
PARAMILITARY FORCES)**

Any member of the Defence Services wishing to purchase a Postal life Insurance Policy shall be governed at par with other proponents as per “Post Office Life Insurance Rules, 2011” and amendments issued from time to time, except for the following: -

1. Defence personnel who are in medical category ‘SHAPE-1’ for Officers and JCOs/NCOs/OR or equivalent, will be exempted from Medical Examination while submitting the proposal for taking Postal Life Insurance Policy. Defence Personnel who are not in ‘SHAPE-1’ category shall undergo medical examination as per the procedure prescribed for other civil proponents.
2. The Defence civilian proponents shall be subject to usual medical examination by the respective Medical Officers as prescribed in “Post Office Life Insurance Rules, 2011”. All other terms and conditions of medical examination shall also apply as mentioned in the rules concerned of “Post Office Life Insurance Rules 2011”.
3. **Premium Payment:** -First premium shall always be paid by the proposer through cash or cheque at par with other proponents as per the provision laid down in “Post Office Life Insurance Rules, 2011”. However, mode of subsequent premium payment may be selected by the proponent as Cash (including cheque/online or any other payment mode authorized by Department from time to time) or deduction through Pay.
4. **Nature of action to be taken by PLI-CPC for collection and updation of subsequent/future premia for Cash/Pay Recovery Policies of Defence Personnel is as under: -**
 - 4.1 **In case of Cash Policies:** - Such policies shall be dealt at par with Cash policies, as of other Civil Proponents.
 - 4.2 **In case of Pay Recovery Policies: -**
 - 4.2.1 **In case of a PLI proposal received at a CPC, which is already mapped with the DDO/PAO/CDA concerned of the proposer:** -The CPC concerned shall forward the acceptance letter along with consent of the insurant to the Drawing & Disbursing Officer (DDO)/Pay Account Officer (PAO)/Controller of Defence Accounts (CDA) of the proposer, for deduction of subsequent premia from the pay.
 - 4.2.2 **In case of a PLI proposal received at a CPC which is not mapped with the concerned DDO/PAO/CDA of the proposer:** - The CPC, after completion of the policy procurement process, shall forward the case file in original to the concerned CPC which is mapped with the DDO/PAO/CDA of the proposer and copy of acceptance letter and consent of the insurant in the format prescribed by the Department shall be sent to the DDO/PAO/CDA concerned, for deduction of subsequent premia & sending the schedule to the mapped CPC.
5. **Monthly Schedules & Premium payment in case of Pay Recovery Policies:** -The DDOs/PAO/CDA concerned are required to send PLI recovery schedules for the renewal premia on monthly basis to the mapped CPC in the proforma prescribed by the Department along with premia recovered from the insurant(s) in Cheque or through any other mode being accepted by the Department from time to time. The CPC shall keep watch over timely receipt of the schedules from respective DDO/PAO/CDA concerned along with premia payment and the discrepancies, if any, shall be got reconciled in consultation with DDO/PAO/CDA concerned and schedule may then be uploaded accordingly.

ANJU NIGAM, Chief General Manager (PLI)
Equivalent to Addl. Secy.